अपील सूचना अधिकार संख्या 80/2019 (RCMS 2019/00226) राधेश्याम गोयल पुत्र श्री भगवानदास गोयल, जाति अग्रवाल, निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर (पोस्ट ऑर्डर नं. 577816) बनाम तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर

02.03.2020

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित हुए अपीलार्थी की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने कथन किया कि उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर के समक्ष एक आवेदन पत्र दिनांक 24.06.2019 प्रस्तुत करके चौदह बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से सूचना उपलब्ध की प्रार्थना की है और धारा 20(1) व 20(2) के तहत शास्ति अधिरोपित करने व हर्जाना अप्रार्थी को दिलवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 24.06.2019 के द्वारा तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही थी:

1. श्री सोमनाथ भाटिया कनिष्ठ सहायक तहसील कार्यालय श्रीगंगानगर दिनांक 22.6.2000 को श्रीमती गंगा देवी द्वारा निष्पादित कथित दस्तावेज कथित रूप से निष्पादित में श्री ओमनाथ भाटिया उपपंजीयक कार्यालय श्रीगंगानगर मे अपने कार्यालय में उपस्थित में हाजरी रजिस्टर में उपस्थिति दर्ज की व तहसीलदार कार्यालय में कार्यरत थे।
2. उप पंजीयक कार्यालय में उपस्थिति गवाह के रूप में दर्ज करवाई की इस बाबत सूचना।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

3. जिस प्रकरण व दस्तावेज में गवाह के रूप में उपस्थिति दर्ज करवायी थी उस दस्तावेजी सूचना व दस्तावेज की प्रमाणित प्रति। दिनांक 22.06.2000 को जो तहसीलदार पदस्थापित थे उस तहसीलदार का नाम व पद की सूचना।
4. दिनांक 22.06.2000 को पदस्थापित तहसीलदार द्वारा जिस आदेश से श्री ओमनाथ भाटिया को भोजन अवकाश के दौरान उपपंजीयक कायार्लय श्रीगंगानगर में गवाह के रूप में दस्तावेज पर गवाही दर्ज करवाये गया, उस आदेश की दिनांक की आदेश की प्रमाणित प्रति।
5. श्री ओमनाथ भाटिया व श्री सुभाष गोयल के परीचित होने सम्बन्धी होने की दस्तावेजी हस्तलिखित सूचना।
6. सुभाष गोयल व उनकी माता जी के जिस दस्तावेज के सम्बन्ध में गवाह के रूप मे गवाही दर्ज करायी गयी थी उस दस्तावेज की सूचना दस्तावेज की विषय वस्तु व दस्तावेज की प्रमाणित प्रति व सुभाष गोयल की माता जी का नाम व पतो की सूचना। दस्तावेज किस विषय वस्तु से सम्बन्धित या उसकी सूचना व प्रमाणित प्रति।
7. श्री ओमनाथ भाटिया ने दिनांक 22.06.2000 को जिस विभागीय नियम के अधीन तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर में पद स्थापित व कार्यरत होते हुए उसी दिन उप पंजीयक कार्यालय में गवाह के रूप में उपस्थिति दर्ज करवायी है उस नियम के आदेश की सूचना व प्रमाणित प्रति।

7 जिस समय श्री ओमनाथ भाटिया का उप पंजीयक कार्यालय में गवाह के रूप में गवाही उर्ज करवाने हेतु लगा उस अवधि

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

की सूचना व उपपंजीयक के द्वारा प्रमाणित पत्र से लगने वाली अवधि की सूचना।

8. श्री ओमनाथ भाटिया के 22.06.2000 को मिलने वाले एक दिन की वेतन की सूचना व प्रमाणित प्रति।
9. राजस्थान सरकार के जिस नियम के अन्तर्गत एक कर्मकार एक कार्यालय में कार्यरत होते हुए दूसरे कार्यालय मे भी निजी कार्य कर सकता है वह कार्य विधि सम्मत है उस नियम की सूचना व प्रमाणित प्रति।
10. सरकारी नियमो के अन्तर्गत भोजनावकाश समय में प्रत्येक कार्यालय में यह समय भोजनावकाश हेतु निर्धारित होता है इस नियम की सूचना व प्रमाणित प्रति।
11. सुभाष गोयल की माता जी के वसीयत सम्बन्धी दस्तावेज पर गवाह के रूप में गवाही दर्ज करवाने हेतु भोजनावकाश में गया था, सुभाष गोयल की माता जी नाम व पता की सूचना व माताजी के नाम होने का प्रमाण पत्र दस्तावेज में।
12. श्री ओमनाथ भाटिया द्वारा उपपंजीयक कार्यालय में गवाह के रूप में गवाही दर्ज करवाने में लगने वाले समय की सूचना व प्रमाणित प्रति।
13. श्री ओमनाथ भाटिया भोजनावकाश के दौरान ही वापिस आ गया था इस तथ्य को साबित करने की प्रमाणित सूचना व दस्तावेज की प्रमाणित प्रति।
14. श्री ओमनाथ भाटिया द्वारा दिये गये जबाव की सूचना व प्रमाणित प्रति।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

पत्रावली के अवलोकन से यह भी पाया कि लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक स्थापना/2019/168 दिनांक 22.07.2019 से अपीलार्थी को चाही गई सूचना के सम्बन्ध में निम्न प्रकार से उत्तर दिया गया है :

बिन्दु संख्या–1. यह है कि श्री ओमनाथ भाटिया लिपिक ग्रेड द्वितीय कार्यालय हाजा द्वारा जबाब स्पष्टीकरण की प्रति संलग्न है। 22.06.2000 को श्री करतार सिंह तहसीलदार पद स्थापित थे। शेष सूचना जिला कार्यालय श्री गंगानगर से प्राप्त करे।

बिन्दु संख्या–1 ए. यह है कि कार्मिक के व्यक्तिगत सूचना देने का कोई प्रावधान नही है।

बिन्दु संख्या–2. यह है कि आदेश मौखिक थे। जो हस्तलिखित संभव नही है।

बिन्दु संख्या–3. इस कार्यालय से सबन्धित नही है।

बिन्दु संख्या–4. इस कार्यालय से सबन्धित नही है।

बिन्दु संख्या–5. इस कार्यालय से सबन्धित नही है।

बिन्दु संख्या–6. कार्मिक द्वारा मुख्यालय छोडा नही गया एक परिसर भोजन अवकाश के दौरान गया था। गवाह के रूप में गवाही दर्ज करवाने गया एवं भोजन अवकाश के दौरान वापिस आ गया था।

बिन्दु संख्या–7. कार्मिक द्वारा दिनांक 22.06.2000 को न तो मुख्यालय छोडा गया। और न ही नियमों का उलघंन किया गया है।

बिन्दु संख्या–8. दिनांक 22.06.2000 को कार्मिक कार्यालय में उपस्थित था। कार्मिक भोजन अवकाश के समय उप पंजीयक

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

कार्यालय श्रीगंगानगर में उपस्थित हुआ। तत्कालीन तहसीलदार पद स्थापित के मौखिक आदेश भोजन अवकाश के दौरान गया था गवाह के रूप में गवाही दर्ज करवाने गया एवं भोजन अवकाश के दौरान वापिस आ गया था।

बिन्दु संख्या–9 इस कार्यालय से सबन्धित नही है।

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को जवाब दिया जा चुका है और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। **सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।** सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है** तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या**

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

प्राप्त करने की कोई गुंजाईश भी नही है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 22.07.2019 के पत्र से निर्धारित समय सीमा 30 दिवस में जवाब दिया गया है परन्तु अपीलार्थी द्वारा 14 बिन्दुओं की सूचना चाही थी जबकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को 09 बिन्दुओं की सूचना उपलब्ध करवाई गई है एवं बिन्दु संख्या 10 से 14 के सम्बन्ध में कोई जवाब नहीं दिया गया है। इसलिए अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को बिन्दु संख्या 10 से 14 की सूचना यदि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत देय हो तो उसे नियमानुसार उपलब्ध करवा दी जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर को **पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 02.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर